रजत जयंती समारोह

नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर कार्यशाला का आयोजन

7 अगस्त, 2023

चंडीगढ़। राजकीय बौद्धिक दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थान (ग्रिड), सेक्टर 31 के रजत जयंती समारोह के अवसर पर सोमवार को विशेष विद्यालय के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के विशेष विद्यालय के करीब 140 बच्चों के माता-पिता ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस डी आनंद थे। जस्टिस आनंद ने ग्रिड के द्वारा इस तरह के दिलचस्प विषय पर कार्यशाला के आयोजन की सराहना की।

जीएमसीएच, सेक्टर 32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल सह संस्थान की निदेशक डॉ जसविंदर कौर ने स्मृति चिन्ह के साथ कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं रिसोर्स पर्सन का स्वागत किया। संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने ग्रिड की 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख किया एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की। ।

नेशनल ट्रस्ट, दिल्ली के पूर्व कार्यक्रम निदेशक एवं असिस्टेंट लीगल एडवाइजर श्री यू के शुक्ला एवं ग्रिड से डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ इस कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन थे। श्री शुक्ला ने जहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत दिव्यांगों के लिए प्रावधानों एवं कानूनी मुद्दे विषय पर प्रस्तुति दी। वहीं, डॉ चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पीजीआईएमईआर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सेक्टर 32, जेनेटिक सेंटर, ग्रिड इत्यादि के द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया। प्रश्नोत्तर सेशन में अभिभावकों की जिज्ञासाओं पर चर्चा की गई । कार्यक्रम के अंत में विशेष विद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्या श्रीमती वंदना सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रिड के क्लीनिक इंचार्ज डॉ रीना जैन, कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉ रवि केएम, प्रशासनिक अधिकारी जसपाल शर्मा, अनिल कुमार, संदीप शर्मा, ओपिंदर कौर, अंजलि शर्मा इत्यादि इस कार्यशाला में उपस्थित रहे।

नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर कार्यशाला का आयोजन

दिव्यांग जगत @ चंडीगढ़

राजकीय बौद्धिक दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थान (ग्रिड), सेक्टर 31 के रजत जयंती समारोह के अवसर पर सोमवार को विशेष विद्यालय के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संस्थान के विशेष विद्यालय के करीब 140 बच्चों के माता-पिता ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस डी आनंद थे। जस्टिस आनंद ने ग्रिड के द्वारा इस तरह के दिलचस्प विषय पर कार्यशाला के आयोजन की सराहना की।

जीएमसीएच, सेक्टर 32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल सह संस्थान की निदेशक डॉ जसविंदर कौर ने स्मृति चिन्ह के साथ कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं रिसोर्स पर्सन का स्वागत किया। संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने ग्रिड की 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख किया एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की।

नेशनल ट्रस्ट, दिल्ली के पूर्व कार्यक्रम निदेशक एवं असिस्टेंट लीगल एडवाइजर श्री यू के शुक्ला एवं ग्रिड से डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ इस कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन थे। श्री शुक्ला ने जहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत दिव्यांगों के लिए प्रावधानों एवं कानूनी मुद्दे विषय पर प्रस्तुति दी। वहीं, डॉ चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पीजीआईएमईआर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सेक्टर 32, जेनेटिक सेंटर, ग्रिड इत्यादि के द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया। प्रश्नोत्तर सेशन में अभिभावकों की जिज्ञासाओं पर चर्चा की गई । कार्यक्रम के अंत में विशेष विद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्या श्रीमती वंदना सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रिड के क्लीनिक इंचार्ज डॉ रीना जैन, कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉ रवि केएम, प्रशासनिक अधिकारी जसपाल शर्मा, अनिल कुमार, संदीप शर्मा, ओपिंदर कौर, अंजलि शर्मा इत्यादि इस कार्यशाला में उपस्थित रहे।

नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर कार्यशाला आयोजित

चंडीगढ़। राजकीय बौद्धिक दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थान (ग्रिड), सेक्टर 31 के रजत जयंती समारोह के अवसर पर विशेष विद्यालय के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के लिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कानूनी प्रावधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इसमें संस्थान के विशेष विद्यालय के करीब 140 बच्चों के माता-पिता ने भाग लिया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस डी आनंद थे। जस्टिस आनंद ने ग्रिड के द्वारा इस तरह के दिलचस्प विषय पर कार्यशाला के आयोजन की सराहना की।

जी.एम.सी.एच., सैक्टर-32 के डायरैक्टर प्रिंसिपल सह संस्थान की निदेशक डॉ जसविंदर कौर ने स्मृति चिन्ह के साथ कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं रिसोर्स पर्सन का स्वागत किया।

संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने ग्रिड की 25 वर्षों की यात्रा का उल्लेख किया एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा की।नैशनल ट्रस्ट, दिल्ली के पूर्व कार्यक्रम निदेशक एवं असिस्टैंट लीगल एडवाइजर यू.के. शुक्ला एवं ग्रिड से डॉ. हेमंत कुमार चंद्रचूड़ इस कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन थे। शुक्ला ने जहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत दिव्यांगों के लिए प्रावधानों एवं कानूनी मुद्दे विषय पर प्रस्तुति दी।

वहीं, डॉ. चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों जैसे समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, पी.जी.आई.एम.ई.आर., गवर्नमैंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सैक्टर-32, जैनेटिक सैंटर, ग्रिड इत्यादि के द्वारा दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया।

दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यशाला के मुख्य अतिथि जस्टिस एस डी आनंद।

श्रोताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जस्टिस एस डी आनंद।

मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए संस्थान की निदेशक डॉ जसविंदर कौर।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रावधानों और कानूनी मुद्दों पर बोलते हुए रिसोर्स पर्सन श्री यू के शुक्ला।

रिसोर्स पर्सन डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मुख्य अतिथि जस्टिस एस डी आनंद।

रिसोर्स पर्सन डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ को पौधा देकर सम्मानित करते हुए संस्थान की निदेशक डॉ जसविंदर कौर।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी।